Mr Anuj
Website
Email

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक : मु.अ./रोड़ रिपेयर/2011–12/189 दिनांक : 09-09.11

परिपत्र

विषय :– सड़को की मरम्मत के संबंध में।

जयपुर सहित राज्य के विभिन्न शहरों में सड़को की चिन्तनीय हालत को दर्शाते हुये उनके रख–रखाव हेतु अविलम्ब अति आवश्यक कार्यवाही करने बाबत अधोहस्ताक्षरकर्ता ने समय–समय पर निर्देशित किया है। पूर्व में जारी निर्देशों के अनुसरण में एतद् द्वारा राजस्थान आवासन मण्डल के सभी अति. मुख्य अभियन्ता, उप आवासन आयुक्तो एव आवासीय अभियन्ताओं को निर्देशित किया जाता है कि मण्डल द्वारा विकसित विभिन्न आवासीय योजनाओं, चाहे वे स्थानीय निकाय को हस्तान्तरित हो अथवा अहस्तान्तरित, में क्षतिग्रस्त सभी सड़कों एवं अन्य ऐसी महत्वपूर्ण सम्पर्क सड़को, जिन पर बहुतायत में यातायात संचालित होता है, में पड़े खड्डों, टूट–फूट, जल निकासी हेतु नाली व नालों की मरम्मत का कार्य राज्य सरकार द्वारा लगाये जा रहे ''प्रशासन शहरों के संग'' अभियान से पहले पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

सभी अति. मुख्य अभियन्तां, उप आवासन आयुक्तों एवं आवासीय अभियन्ताओं को यह भी निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त निर्देशों की पालना में किये जाने वाले मरम्मत कार्यो को कराने हेतु, यदि अभी तक प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति नही ली गयी है तो इसे प्राथमिकता देते हुये जारी करावे।

सड़कों आदि के मरम्मत कार्य में व्यक्त किसी भी शीथिलता को मण्डल प्रशासन द्वारा गम्भीरता से लिया जाकर संबंधित उप आवासन आयुक्त/आवासीय अभियन्ता को निर्देशों की अवहेलना के लिये व्यक्तिश उत्तरदायी मानते हुये उपयुक्त कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।

उपरोक्त निर्देशों की पालंना में सभी अति. मुख्य अभियन्ताओं को निर्देशित किया जाता है कि वे इस विषय हेतु साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट अपने स्तर पर तैयार कर, जिसमें खण्डवार एवं आवासीय योजनावार टूटी सड़को के विषय में एवं मरम्मत की गयी सड़कों के लिये कराये गये कार्य का स्पष्ट विवरण हो, मुख्य अभियन्ता को प्रस्तुत करेगे।

(पवन कुमार गोयल)
आवासन आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव--प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. निजी सचिव–अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर
3. निजी सचिव–आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर
4. निजी सचिव–मुख्य अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर
5. वित्तीय सला. एवं मुख्य लेखाधिकारी, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर
6. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-I/II/III/P & M, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर
7. तकनीकी सहायक–आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर
8. तकनीकी सहायक–मुख्य अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर
9. उप आवासन आयुक्त (समस्त) ....
10. आवासीय अभियन्ता (समस्त) ....
11. रक्षित पत्रावली।

9/9/11
मुख्य अभियन्ता